भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2592
सोमवार, 17 मार्च, 2025/ 26 फाल्गुन, 1946 (शक)

असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ

2592. श्री सुश्री इकरा चौधरी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा असंगठित और गिग श्रमिकों को कार्यस्थल पर मृत्यु/चोट लगने की स्थिति में समय पर और पर्याप्त मुआवजा मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास गिग और असंगठित श्रमिकों से संबंधित कार्यस्थल दुर्घटनाओं को ट्रैक करने के लिए कोई तंत्र है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव सभी असंगठित श्रमिकों के लिए दुर्घटना बीमा सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ अनिवार्य करने का है, और

(घ) सरकार कार्यस्थल दुर्घटनाओं का काम के दौरान दुर्घटनाओं से प्रभावित असंगठित श्रमिकों को मुआवजा देने की जिम्मेदारी प्लेटफार्म और नियोक्ताओं द्वारा लिया जाना किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): संसद द्वारा अधिनियमित सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में पहली बार गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों को परिभाषित किया गया है।

संहिता में जीवन और निःशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय तैयार करने का प्रावधान है।

जारी...2/-

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गिग कामगारों के अंशदान को मान्यता देते हुए, सरकार ने दिनांक 01.02.2025 को की गई अपनी बजट घोषणा में उनके पहचान पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था करने और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का प्रस्ताव रखा।

केन्द्र सरकार असंगठित कामगारों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं में (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) (ii) प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेवाईएम) (iii) प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) (iv) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक-राष्ट्र-एक-राशन-कार्ड योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (v) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (vi) महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (vii) दीन दयाल अंत्योदय योजना (viii) प्रधानमंत्री आवास योजना (ix) पीएमस्वनिधि (x) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (xi) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) (xii) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) शामिल हैं।

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 में अन्य बातों के साथ-साथ, कर्मचारियों और उनके आश्रितों को रोज़गार के दौरान होने वाली चोट और दुर्घटना के मामले में मुआवज़ा देने का प्रावधान है, जिसके परिणामस्वरूप निःशक्तता या मृत्यु हो जाती है। इस अधिनियम का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

इसके अलावा, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार और प्रशासित कल्याणकारी योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार कामगारों/ असंगठित कामगारों के परिवारों को मुआवज़ा प्रदान किया जाता है। मुआवज़े की राशि राज्य दर राज्य अलग-अलग होती है और संबंधित योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार वितरित की जाती है।

*****